FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0215 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 20/08/2025 18:11 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 13/08/2025 Date To (दिनांक तक): 19/08/2025
   Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 14:15 बजे Time To (समय तक): 08:34 बजे
   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 20/08/2025 Time (समय): 16:00 बजे
   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002 Date & Time (दिनांक एवं समय) 20/08/2025 18:11:30 बजे
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH, 117 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE
   (b) Address(पता): AAROPI KA SARKARI NIWAS,PANCHYAT PARISAR BAPINI, JILA PHALODI
   (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
   Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SHRVAN RAM

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** PUNARAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1999 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM PUNASAR KHURD, PANCHAYAT SAMITI BAPINI, फलौदी, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM PUNASAR KHURD, PANCHAYAT SAMITI BAPINI, फलौदी, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAMESHWAR LAL		पिता:BAJRANGLAL	1. GOAN ADKASAR,KUCAMAN CITY,डीडवाना-कुचामन, RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		4,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 4,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जोधपुर। विषयः- रिश्वत लेतें हुए रंगे हाथो पकडवानें बाबत। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मै श्रवणराम पुत्र श्री पुनाराम जाति जाट उम्र 26 साल निवासी पुनासर खुर्द तहसील बापिणी जिला फलोदी का रहनें वाला हूं। मेरी माताजी श्रीमति हरकू के नाम प्रधानमन्त्री आवास योजना में आवास स्वीकृत है। उक्त आवास की दूसरी व तीसरी किस्त जो क्रमशः 45,000 रूपयें व 60,000 रूपयें है, को जारी करनें की एवज में श्री रामेश्वरलाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पुनासर खुर्द पंचायत समिति बापिणी जिला फलोदी द्वारा कुल 10,000 रूपयें रिश्वत की मांग की जा रही है। श्री रामेश्वरलाल ग्राम विकास अधिकारी द्वारा करीब तीन चार दिन पहलें मेरे घर पर आकर मेरे से कुल 10,000 रूपयें रिश्वत राशि की मांग की गई जिसमें से 2000 रूपयें रिश्वत राशि प्राप्त कर ली और कहा कि शेष 8,000 रूपयें तीन चार दिन में दे देना। श्री रामेश्वरलाल ग्राम विकास अधिकारी बिना रिश्वत दिये मेरा काम नही करेगा। मै मेरे माताजी के नाम स्वीकृत प्रधानमन्त्री आवास की दूसरी व तीसरी किश्त जारी करनें हेतु मेरे जायज काम के लिए ग्राम विकास अधिकारी कों रिश्वत राशि नही देना चाहता हू बल्कि रिश्वत राशि लेतें हुए को रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरे व रामेश्वरलाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पुनासर खुर्द पंचायत समिति बापिणी जिला फलोदी के बीच पहलें का कोई लेन देन बकाया नही है और ना ही कोई रंजिश है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करावे। मै मेरा व मेरी माता जी के आधार कार्ड की फोटो प्रति तथा आवास स्वीकृत होनें से सम्बन्धित कागजात की फोटो प्रति पेश कर रहा हू। दिनांकः- 13.08.2025 भवदीय (श्रवणराम) पुत्र श्री पुनाराम जाति जाट उम्र 26 साल निवासी ग्राम पुनासर खुर्द पंचायत समिति बापिणी जिला फलोदी मोबाईल नम्बर) कार्यवाही पुलिस दिनांक 13.08.2025 समय 2.15 P.M. इस समय परिवादी श्री श्रवणराम पुत्र श्री पुनाराम जाति जाट निवासी ग्राम पुनासर खुर्द पंचायत समिति बापिणी जिला फलोदी नें मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कों कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरां जोधपुर में उपस्थित होकर हस्तलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की। परिवादी की रिपोर्ट के अवलोकन, मजीद दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का पाया जाने पर नियमानुसार मांग सत्यापन व अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। एसडी/ एसडी श्रवणराम 13/08/25 (चक्रवर्ती सिंह राठौड़) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जोधपुर दिनांक 13.08.2025 वक्त 03.30 पी.एम. पर श्री भूरसिंह हैड कानि. नम्बर 91 को कार्यालय कक्ष में तलब कर उसका परिचय परिवादी श्री श्रवणराम से करवाया गया। दोनों के मोबाईल नम्बर एक दुसरे को आदान प्रदान कराये गये। कार्यालय की अलमारी से डिजीटल वॉयस रिकार्डर निकाल कर उसको चालु करने, बन्द करने की प्रक्रिया परिवादी श्री श्रवणराम कों समझायी गई। इसके बाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरों का डिजीटल वॉयस टेप रिर्काडर श्री भूरसिंह हैड कानि. को सुपर्द कर हिदायत दी गई कि परिवादी श्री श्रवणराम के साथ ग्राम पंचायत पुनासर खुर्द पंचायत समिति बापिणी जिला फलोदी जाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड कर लेकर आवे। कार्यवाही की गोपनीयता बरततें हुए गोपनीय रूप सें मांग सत्यापन की कार्यवाही करके उपस्थित चौकी आवे। दिनांक 14.08.2025 वक्त 09.45 ए.एम. पर श्री भूरसिंह हैड कानि. नें अपनें मोबाईल से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये दूरभाष बताया कि मै श्रीमान के निर्देशानुसार पंचायत समिति बापिणी आ गया था। जहां पर मैंने कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर का स्वीच ऑन कर परिवादी श्री श्रवणराम को सुपुर्द कर पंचायत समिति बापिणी कार्यालय के पीछे संदिग्ध अधिकारी श्री रामेष्वरलाल के निवास पर रवाना किया मैं अपनी उपस्थिति छुपाते हुए पंचायत समिति बापिणी कार्यालय के आस-पास ही खड़ा रहा। कुछ समय बाद परिवादी श्री श्रवणराम मेरे पास उपस्थित आया। जिस पर मैंने कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्ड पर परिवादी से प्राप्त कर उसका स्वीच ऑफ कर मेरे पास सुरक्षित रखा तथा साथ ही परिवादी ने मुझे बताया कि श्री रामेश्वरलाल ग्राम विकास अधिकारी अभी बाहर गया हुए। रात्रि विश्राम परिवादी के गांव में ही किया गया था। उसके बाद हम पुनासर खुर्द सें बापिणी आ गये। आरोपी श्री रामेश्वरलाल के बारें में जानकारी की गई तों उसका पंचायत परिसर में अपनें सरकारी आवास पर होना पाया गया। जिस पर मेरे द्वारा परिवादी श्री श्रवणराम कों डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर चालू करके दिया था। कुछ समय परिवादी वापिस आया और बताया कि आरोपी श्री रामेश्वरलाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पुनासर खुर्द पंचायत समिति बापिणी जिला फलोदी से मांग सत्यापन वार्ता हो गई है। आरोपी श्री रामेश्वरलाल द्वारा मेरे से मांग सत्यापन के दौरान 4,000 रूपयें प्राप्त

कर लिये है और शेष 4,000 रूपयें और देनें है। जिस पर भूरसिंह को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देशित किया गया कि आप परिवादी को वहीं छोड कर एवं रिश्वत राशि की व्यवस्था करनें एवं डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर को सुरक्षित अपनी अभिरक्षा में लेकर जोधपुर एसीबी चौकी आनें की हिदायत दी गई। वक्त 02.00 पी.एम. पर श्री भूरसिंह हैड कानि. 91 बाद मांग सत्यापन के कार्यालय में उपस्थित आया तथा श्री भूरसिंह हैड कानि. नं. 91 ने स्वीच ऑफ षुदा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर मैमोरी कार्ड लगा हुआ मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि परिवादी श्री श्रवणराम एवं मैं श्रीमान के निर्देशानुसार कार्यालय से रवाना होकर पंचायत समिति बापिणी जिला फलौदी के पास पहुंचे। परिवादी को डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर देकर आरोपी के सरकारी आवास पर भिजवाया गया था परन्तु आरोपी के उपस्थित नही होनें पर मांग सत्यापन वार्ता नही हो पाई थी। आज दिनांक 14.08.2025 को मैंने परिवादी श्री श्रवणराम को आवष्यक हिदायत के साथ कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्ड स्वीच ऑन कर परिवादी को सुपुर्द कर संदिग्ध श्री रामेश्वरलाल ग्राम विकास अधिकारी से रिश्वत राषि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु पंचायत समिति बापिणी कार्यालय के पीछे आरोपी श्री रामेष्वरलाल के निवास पर रवाना किया मैं अपनी उपस्थिति छुपाते हुए पंचायत समिति बापिणी कार्यालय के आस-पास ही खड़ा रहा। कुछ समय बाद परिवादी श्री श्रवणराम मेरे पास उपस्थित आया। जिस पर मैंने कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्ड पर परिवादी से प्राप्त कर उसका स्वीच ऑफ कर मेरे पास सुरक्षित रखा तथा साथ ही परिवादी ने मुझे बताया कि मेरे व श्री रामेष्वरलाल ग्राम विकास अधिकारी के मध्य मेरे काम के सम्बन्ध में वार्ता हो गई तथा उन्होने मेरे काम की ऐवज में 4,000/-रूपये रिष्वत राषि की मांग की है साथ ही परिवादी ने मुझे बताया कि आज मेरे काम है इस कारण एक-दो दिन में ब्यूरो चौकी जोधपुर आ जाउंगा। जिस पर मैं वहां से रवाना होकर श्रीमान के पास उपस्थित आया हूं। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर उक्त रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो परिवादी श्री श्रवणराम से आरोपी श्री रामेष्वरलाल ग्राम विकास अधिकारी द्वारा रिश्वत राशि मांग की पुष्टि हुई। उक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट आईन्दा बनाने का निर्णय लिया जाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपनी अभिरक्षा सुरक्षित में रखा। दिनांक 18.08.2025 वक्त 12.15 पी.एम. पर परिवादी श्री श्रवणराम मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास उपस्थित आया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मेरे घर पर 3-4 दिन घरेलु कार्य होने के कारण मैं वापस नहीं आ पाया तथा साथ ही परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि दिनांक 14.08.2025 मेरे व श्री रामेश्वरलाल ग्राम विकास अधिकारी के मध्य मेरी माताजी श्रीमति हरकू के नाम प्रधानमन्त्री ओवास की दूसरी व तीसरी किस्त जारी करनें की एवज में रिष्वत राषि सत्यापन वार्ता हो गई थी, श्री रामेश्वरलाल ग्राम विकास अधिकारी पुनासर खुर्द पंचायत समिति बापिणी जिला फलोदी द्वारा मेरे से 4,000 रूपयें दौरानें मांग सत्यापन प्राप्त कर लिये थे और अब 4,000 रूपयें और देनें हेतु कहा है। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता की पुश्टि परिवादी के कथनो से हुई। साथ ही मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को आरोपी श्री रामेश्वरलाल को रिष्वत में दी जाने वाली राषि के बारे में पुछा तो परिवादी ने बताया कि आज मेरे से व्यवस्था नहीं हो पाई है इस कारण में साथ लेकर नहीं आया हूं साथ परिवादी ने यह भी बताया कि श्री रामेश्वरलाल ग्राम विकास अधिकारी मेरे को सुबह के समय 09.00 ए.एम. से पहले ही मिलता है। जिस पर परिवादी की रिपोर्ट पर ट्रेप कार्यवाही आयोजित करनें का निर्णय लिया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किसी अन्य गोपनीय कार्यवाही में व्यस्त होनें पर उक्त रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही हेतु श्री किशनिंसह चारण उप अधीक्षक पुलिस कों निर्देशित किया जावेगा। वक्त 01.00 पी.एम. परिवादी के बतायेनुसार ग्राम विकास अधिकारी परिवादी से सुबह जल्दी बात कर रिष्वत राषि प्राप्त करेगा। जिस पर अग्रिम कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने पर दो स्वतन्त्र गवाहान भिजवाने हेतु श्रीमान उपायुक्त वाणिज्य कर विभाग सभाग- प्रथम/द्वितीय जोधपुर के नाम पत्र क्रमांक 2758 दिनांक 18.08.2025 जारी कर गवाह लाने हेतु श्री छैलाराम कानि. नं. 46 को सुपुर्द कर रवाना किया। वक्त 01.30 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनें कार्यालय कक्ष में श्री किशनिंसह चारण उप अधीक्षक पुलिस को बुलाया जाकर परिवादी श्री श्रवणराम से परिचय कराया गया। परिवादी श्री श्रवणराम की हस्तलिखित रिपोर्ट एवं अन्य संलग्न दस्तावेज श्री किशनसिंह चारण उप अधीक्षक पुलिस को सुपर्द किये गये। परिवादी श्री श्रवणराम कों श्री किशनिंसह चारण उप अधीक्षक पुलिस को सुपर्द किया गया। श्री किशनसिंह चारण उप अधीक्षक पुलिस कों दिनांक 19.08.2025 कों ट्रेप कार्यवाही आयोजित करनें हेतु निर्देशित किया गया। वक्त 01.40 पी.एम. पर मन् किशनसिंह चारण उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री श्रवणराम मय परिवादी की हस्तलिखित रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेज मय कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्ड मैमोरी कार्ड लगा जिसमें आरोपी श्री रामेश्वरलाल ग्राम विकास अधिकारी एवं परिवादी श्री श्रवण कुमार के मध्य हुई रिष्वत राषि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है, को साथ लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आया। परिवादी के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया तो परिवादी श्री श्रवणराम के माता श्रीमती हरकू के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत हो रखा है। जिसकी दुसरी व तीसरी किस्त जो क्रमषः 45000 व 60000 रूपये हे। उक्त किस्त परिवादी के माता के खाते में जमा कराने के लिये ग्राम विकास अधिकारी श्री रामेश्वरलाल परिवादी से 10000/-रूपये की मांग कर रहा है। परिवादी से रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के बारे में दरियाफती की तो परिवादी ने लिखित रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का सही होना

बताया। उक्त रिपोर्ट पर दिनांक 14.08.2025 को परिवादी श्री श्रवणराम एवं आरोपी श्री रामेश्वरलाल ग्राम विकास अधिकारी के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो आरोपी श्री रामेश्वरलाल द्वारा परिवादी श्री श्रवणराम से मांग सत्यापन के दौरान 4000 रूपयें परिवादी से प्राप्त करना व शेष 4000 रूपयें लेकर बुलानें की वार्ता होना पाया गया है। रिकार्ड वार्ता में आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राषि मांगने की पुश्टि हुई। रिकार्ड वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट बनाने का निर्णय लिया। साथ ही मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री श्रवणराम को आरोपी श्री रामेश्वरलाल को रिश्वत में दी जाने वाली राषि के बारे में पुछा तो परिवादी ने बताया कि आज मेरे से व्यवस्था नहीं हो पाई है इस कारण में साथ लेकर नहीं आया हूं साथ परिवादी ने यह भी बताया कि श्री रामेश्वरलाल ग्राम विकास अधिकारी मेरे को सुबह के समय 09.00 ए.एम. से पहले ही मिलता है। जिस पर परिवादी श्री श्रवणराम कों कल दिनांक 19.08.2025 को समय 5 ए.एम. पर कार्यालय में रिश्वत राशि की व्यवस्था कर उपस्थित होनें की हिदायत देकर कार्यालय से रूखसत किया गया। वक्त 03.00 पी.एम. पर कार्यालय वाणिज्य कर विभाग संभाग द्वितीय जोधपुर से दो कार्मिक उपस्थित आये। जिन्हे मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय देकर उनका परिचय पुछा तो उन्होने बारी-बारी से अपना परिचय श्री योगेन्द्रसिंह पुत्र श्री श्रवणसिंह जाति राजपुरोहित उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट खेड़ापा तहसील बावड़ी पुलिस थाना खेड़ापाल जिला जोधपुर हाल वरिश्ठ सहायक कार्यालय वाणिज्य कर विभाग संभाग द्वितीय मोबाईल नं. ' ' व श्री लक्ष्मण जोधा पुत्र श्री जबरसिंह जाति राजपुत उम्र 28 साल निवासी 68 मॉ भगवती नगर बालसमन्द पुलिस थाना मण्डोर जिला जोधपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय वाणिज्य कर विभाग संभाग द्वितीय जोधपुर मोबाईल नं. होना बताया। जिस पर दोनों गवाहान कों कल दिनांक 19.08.2025 को सुबह 5 ए.एम पर कार्यालय में उपस्थित होनें की हिदायत देकर कार्यालय से रूखस्त किया गया। सभी ब्यूरों स्टाफ को कल दिनांक 19.08.2025 को समय 5 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होनें की हिदायत दी गई। दिनांक 19.08.2025 वक्त 05.00 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द षुदा परिवादी श्री श्रवणराम कार्यालय हाजा में मन् उप अधीक्षक पुलिस भ्रश्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर के पास उपस्थित आया तथा परिवादी श्री श्रवणराम ने उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि आरोपी श्री रामेश्वरलाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पुनासर खुर्द जिला फलौदी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 4,000/-रूपये की व्यवस्था कर मैं साथ लेकर आया हूं। जिस पर स्वतन्त्र गवाहान के उपस्थित आने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वक्त 05.10 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दशुदा कार्मिक श्री योगेन्द्रसिंह पुत्र श्री श्रवणसिंह जाति राजपुरोहित उम्र 30 वर्श निवासी ग्राम पोस्ट खेड़ापा तहसील बावड़ी पुलिस थाना खेड़ापाल जिला जोधपुर हाल वरिश्ठ सहायक कार्यालय वाणिज्य कर विभाग संभाग द्वितीय मोबाईल नं. व श्री लक्ष्मण जोधा पुत्र श्री जबरसिंह जाति राजपुत उम्र 28 साल निवासी 68 मॉ भगवती नगर बालसमन्द पुलिस थाना मण्डोर जिला जोधपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय वाणिज्य कर विभाग संभाग द्वितीय जोधपुर मोबाईल नं. मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास उपस्थित आये। जिनका परिचय पूर्व में कार्यालय में मौजुद परिवादी श्री श्रवणराम से करवाकर दोनो कार्मिको को बुलाने के मन्तव्य से अवगत कराकर परिवादी द्वारा दिनांक 13.08.2025 को प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन करवाया गया एवं परिवादी श्री श्रवणराम एवं आरोपी श्री रामेश्वरलाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पुनासर खुर्द जिला फलौदी के मध्य दिनांक 14.08.2025 को हुई रिष्वत राषि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य-मुख्य अंष को सुनाया गया। दोनो कार्मिकों द्वारा परिवादी की रिपोर्ट पढकर परिवादी से तसली से पुछताछ कर एवं रिष्वत राषि मांग सत्यापन की रिकार्ड वार्ता के मुख्य अंष सुनकर ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने की मौखिक सहमति दी। उक्त रिकार्ड वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट बनाने का निर्णय लिया। ताबाद दोनो स्वतन्त्र गवाहान ने अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर परिवादी द्वारा प्रस्तुत हस्त लिखित रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों पर किये गये। वक्त 05.30 ए.एम. पर दोनों गवाहान के रू-ब-रू परिवादी श्री श्रवण राम पुत्र श्री पुनाराम जाति जाट उम्र 26 साल निवासी ग्राम पुनासर खुर्द तहसील बापिणी जिला जोधपुर को रिश्वत मे दी जाने वाली राषि पेश करने हेतु कहा गया, जिस पर परिवादी श्री श्रवणराम ने भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के कुल 08 नोट कुल राषि 4,000/-रूपये पेश किये। परिवादी श्री श्रवणराम द्वारा प्रस्तुत नोटों के नंबरों पर श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई गई। जिस पर श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस ने मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी लेकर आये तथा उक्त 4,000/- रूपये के नोटो पर श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस से पुराने अखबार के उपर रखकर नोटो पर हल्का-हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री श्रवणराम की जामा तलाषी गवाह श्री योगेन्द्रसिंह से लिवाई जाकर परिवादी के पास मोबाईल फोन के अलावा कोई आपतिजनक दस्तावेजात व अन्य राषि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त 4,000/- रूपये जो आरोपी श्री रामेश्वरलाल को दी जानी है, की राषि के नोटों को परिवादी श्री श्रवणराम के पहनी हुई कमीज की बांयी जेब में गवाहान के समक्ष श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस से रखवाये जाकर परिवादी श्री श्रवणराम को हिदायत दी गई कि इस रिष्वती राषि को रास्ते में नहीं छुऐ एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि निकाल कर देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से हाथ जोड़कर नमस्कार करें साथ ही परिवादी को यह भी हिदायत दी गई की आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने पर कहा

रखता है उसका ध्यान रखे, साथ ही यह भी हिदायत दी गई कि आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने पर ट्रेप पार्टी को देखकर अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ दो बार फेरकर या मन् किशनसिंह चारण उप अधीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर के मोबाईल नं. पर रिश्वती राशि आदान-प्रदान होने की सूचना मिस कॉल या कॉल करके करें। तत्पष्चात् कार्यालय के वाटर कुलर से एक प्लांस्टक के गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर स्वतन्त्र गवाहान तथा परिवादी श्री श्रवणराम को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईष की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया गया। फिर पाउडर लगाने वालें श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस से गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाकर गिलास को नष्ट करवाया जाकर तथा जिस पुराने अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था, उस अखबार को भी जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को पाउडर लगाने वालें श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस से कार्यालय हाजा के मालखाना प्रभारी को देकर मालखाना में रखवायी गई। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी श्री श्रवणराम व आरोपी के बीच में होने वाली रिष्वती राषि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करे । इसके पश्चात् परिवादी श्री श्रवणराम को छोडकर समस्त पार्टी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो ट्रेप दल में ब्यूरों स्टॉफ के पास स्वयं के विभागीय परिचय पत्र एवं मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास विभागीय परिचय पत्र व आकस्मिक खर्च के 4000/- रूपये रहने दिये गये, इसके अलावा किसी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् परिवादी श्री श्रवणराम सहित समस्त टैरप पार्टी के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस को हिदायत देकर कार्यालय में ही उपस्थित रहने हेतु छोड़ा गया। उक्त फर्द पेशकसी मूर्तिब कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। वक्त 06.05 ए.एम. मन् किशनसिंह चारण उप अधीक्षक पुलिस मय श्री भंवरलाल हैड कानि. नम्बर 100, श्री स्वरूपचन्द हैड कानि. नम्बर 29, श्री भूरसिंह हैड कानि. नम्बर 91, श्री छैलाराम कानि. नम्बर 46, श्री अमित कुमार कानि. नम्बर 270, स्वतन्त्र गवाह श्री योगेन्द्रसिंह वरिष्ठ सहायक एवं श्री लक्ष्मण जोधा वरिष्ठ सहायक एवं परिवादी श्री श्रवण कुमार के एवं परिवादी के निजी वाहन स्कार्पियों एवं चालक श्री सुरताराम के एवं श्री प्रेमसिंह कानि. चालक मय सरकारी वाहन आरजे 14 यूएल 5806 से ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, एवं कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर के एवं परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली सहित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों चौकी जोधपुर शहर से ग्राम पंचायत बापिणी के लिए रवाना हुए। वक्त 09.00 ए.एम. पर निवेदन है कि मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा वक्त 08.11 ए.एम. पर बापिणी कस्बे सें एक किलोमीटर पहलें पहुचें। जहां पर सरकारी वाहन व निजी वाहन कों रूकवाकर पूर्व से एक मोटर साईकिल सवार परिवादी के जानकार उपस्थित आया। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री श्रवण राम कों श्री भूरसिंह हैड कानि. नम्बर 91 से डिजीटल वॉयस टेप रिकार्डर ऑन करवाकर परिवादी कों सुपर्द कर मोटर साईकिल सें रिश्वत राशि लेन देन के लिए ग्राम पंचायत बापिणी में आरोपी के निवास स्थान के लिए रवाना किया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के सरकारी वाहन व निजी वाहन सें परिवादी की मोटर साईकिल के पीछे पीछे पंचायत समिति बापिणी के आसपास वाहनों को गोपनीय रूप सें खडा करवाकर परिवादी के रिश्वत राशि लेन देन के गोपनीय ईषारें के इन्तजार में मुकीम हुए। समय करीब 08.34 ए.एम. पर परिवादी श्री श्रवण राम नें अपने मोबाईल नम्बर सें मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर पर कॉल करके "साहब दस मिनट में आउ" का रिश्वत राशि लेन देन का गोपनीय ईशारा किया। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के पंचायत समिति बापिणी के पास आरोपी के बनें सरकारी आवास पर पहुंचा। जहां पर एक आवास के बाहर परिवादी की मोटर साईकिल खडी मिली। जिस कारण मन् उप अधीक्षक पुलिस मय समस्त हमरायान के उक्त आवास के बरामदे में प्रवेश हुए। बरामदे में परिवादी खड़ा मिला। जिस पर मन् उप अधीक्षक द्वारा श्री भूरसिंह हैड कानि. नम्बर 91 से परिवादी से डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर प्राप्त करवाकर स्वीच ऑफ करवाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया। इसके बाद परिवादी श्री श्रवणराम नें मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मेरे से अभी अभी श्री रामेष्वरलाल ग्राम विकास अधिकारी नें 4000 रूपयें प्राप्त कर गिन कर सामनें कमरें में गयें और उसके बाद मैनें आपकों गोपनीय ईशारा बाबत कॉल किया गया। इसके बाद श्री रामेष्वरलाल मेरे पास वापिस आयें और खडे हो गये। मेरे काम के सम्बन्ध में वार्ता हुई। तब तक आप आ गये। इसके बाद आरोपी के सरकारी आवास के अन्दर खुले बरामदें में रूबरू स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी श्री श्रवण राम के एवं ब्यूरो स्टाफ के समक्ष सरकारी वाहन में से ट्रेप बाक्स मंगवाकर मन् अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री रामेष्वरलाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पुनासर खुर्द पंचायत समिति बापिणी जिला फलोदी के हाथ धोवन की कार्यवाही आरम्भ की गई। श्री अमित कुमार कानि. नम्बर 270 कों सरकारी मोबाईल फोन सें उक्त हाथ धोवन की कार्यवाही की विडीयोग्राफी करनें

हेतु निर्देशित किया गया। इसके बाद मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी से नाम पूछा तों उसने अपना नाम रामेष्वरलाल बताया तथा पिता का नाम श्री बजरंगलाल बताया। क्या जाति सें हो तो बताया कि जाट हूं। इसके बाद रहनें का पूछा तों कुचामन का रहनें वाला बताया। इसके बाद मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा पद का पूछा तों उसनें अपना पद ग्राम विकास अधिकारी होना बताया। इसके बाद मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी से परिवादी की तरफ ईशारा कर पूछा कि आप इसकों जानतें हो क्या, जिस पर आरोपी द्वारा बताया कि श्रवण राम है। इसके बाद मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी से परिवादी की तरफ ईशारा कर पूछा कि इसका कोई काम था क्या जिस पर आरोपी श्री रामेश्वरलाल नें बताया कि यह श्रवण राम है। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा पूछा कि आपनें इनसे कोई पैसें वगैराह मांगे थे क्या, जिस पर आरोपी श्री रामेश्वरलाल नें कहा कि नही, इसके बाद मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से पूछा कि आपसे किस बाबत पैसें लियें जिस पर परिवादी श्री श्रवणराम नें बताया कि प्रधानमन्त्री आवास योजना की किष्त खातें में डालनें के लिए पैसे लिये है। इसके बाद आरोपी श्री रामेश्वरलाल नें परिवादी से पूछा कि मैनें आपसे पैसे मांगे थे क्या, जिस पर परिवादी नें कहा कि हॉं, उसके बाद आरोपी श्री रामेष्वरलाल नें कहा कि मैनें आपसे पैसे क्यों मांगे, इसके बाद मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से पूछा कि आरोपी को आपनें पैसें कब कब दिये। जिस पर परिवादी नें मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मैनें पांच दिन पहलें चार हजार रूपयें दिये थे और दो हजार घर पर दिये थे। और षेश बचें हुए चार हजार रूपये आज दिये। इसके बाद मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री रामेश्वरलाल से पूछा कि आपकों अब क्या कहना है, जिस पर आरोपी श्री रामेश्वरलाल नें कहा कि ये कुछ लोगां से मिले हुए है। मेरी षिकायतें कर रहे है। ये कह रहे है कि ग्राम सेवक जी हम कह रहे है वैसे पंचायत चलेगी और मै इनके कहनें में नही आया। जिस पर ये कार्यवाही हुई। इसके बाद मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री रामेश्वरलाल से पूछा कि जो पैसै आपनें लिये है, वो कहां रखे है। जिस पर आरोपी श्री रामेष्वरलाल नें सामनें कमरें में जाकर एक बैग की जेब में रखा पर्स निकाल कर कहा कि इसमें मैनें पैसे रखे है। जिस पर रूबरू गवाहान एवं परिवादी एवं ब्यूरों स्टॉफ के उक्त पर्स कों गवाह श्री योगेन्द्रसिंह को सुपर्द कर पुनः बरामदें में आये और इसके बाद कमरें में से एक छोटी टेबल की व्यवस्था करके आरोपी श्री रामेष्वरलाल के हाथ धोवन की कार्यवाही आरम्भ की गई। इसके बाद रसोई में रखे पानी के कैम्पर से गिलास से पानी भरवाकर प्लास्टिक के दो गिलास में पानी भरवाया गया। इसके बाद मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री रामेश्वरलाल कों दोनो स्वतन्त्र गवाह का होना पुनः बताया गया। श्री स्वरूप चन्द हैड कानि. सें ट्रेप बॉक्स में रखें सोडियम कार्बोनेट की शीशी सें दोनों प्लास्टिक के गिलास में सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर हिलाया गया तो गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिससे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया। उक्त गिलास के तैयार घोल में आरोपी श्री रामेश्वरलाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पुनासर खुर्द पंचायत समिति बापिणी जिला फलोदी के बायें हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिससे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉंच की शीशीयों में आधा आधा भरकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित किया गया। फिर दूसरी प्लास्टिक के गिलास में पानी के कैम्पर सें साफ पानी मंगवाकर पानी भरवाया गया। उक्त प्लास्टिक गिलास में सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर हिलाया गया तो गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिससे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया। उक्त गिलास के तैयार घोल में आरोपी श्री रामेश्वरलाल के दाहिनें हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिससे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉंच की शीशीयों में आधा आधा भरकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.-1 व आर. एच.-2 अंकित किया गया। इसके बाद मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी की पत्रावली में से फर्द पेशकशी की एक प्रति गवाह श्री लक्ष्मण जोधा को सुपर्द कर एवं रिष्वत राषि श्री योगेन्द्रसिंह सें मिलान हेतु सुपर्द की गई। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान द्वारा रूबरू परिवादी एवं ब्यूरों जाब्ता के फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों का मिलान किया गया फर्द पेशकशी के अनुसार उक्त राषि फर्द के मुताबिक 500-500 रूपयें के कुल 08 नोट होना पाई गई। जिनका विवरण निम्न प्रकार है:- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 PC 340100 500 रूपये का एक नोट नम्बर 500 8 RQ 837669 रूपये का एक नोट नम्बर 500 2 AM 741885 रूपये का एक नोट नम्बर 500 2 HP 668339 रूपये का एक नोट नम्बर 500 7 KK 955718 रूपये का एक नोट नम्बर 500 5 PL 270377 रूपये का एक नोट नम्बर 500 0 KF 906046 रूपये का एक नोट नम्बर 7 QM 250760 इसके बाद रिश्वत राशि आरोपी के भूरें रंग के पर्स सें बरामद हुई है, पर्स को चैक किया गया तों पर्स के अन्दर 1500 रूपयें की राशि और होना पाई गई। जिसमें राशि के अलावा परिचय पत्र ईत्यादि और पाये गये । इसके बाद पर्स के अन्दर के भाग का सफेद कपडे की चिन्दी सें धोवन लिया जाना आवष्यक है, जिस पर श्री स्वरूप चन्द हैड कानि. की मदद सें पर्स के अन्दर सें सफेद कपडे की चिन्दी से रगड कर एक प्लास्टिक के गिलास में साफ पानी डलवाकर सोडियम कार्बोनेट डलवाकर चिन्दी कों प्लास्टिक के गिलास में भीगो कर निचोडा गया तों गिलास के घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिस पर उक्त घोल कों जिससे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉंच की शीशीयों में आधा आधा भरकर शीशीयों पर मार्क पी.-1 व पी.-2 अंकित किया गया। इसके बाद आरोपी श्री रामेश्वरलाल के सरकारी आवास पर ब्यूरों की शेष कार्यवाही हेतु सही व्यवस्था नही होनें एवं पास में

ही पंचायत समिति कार्यालय होनें पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा हमराही ब्यूरों जाब्ता एवं प्रादर्षो एवं आरोपी को साथ लेकर रवाना होते हुए आरोपी श्री रामेष्वरलाल के सरकारी आवास कों लॉक करवाकर चाबी अपनें कब्जें में लेकर पंचायत समिति बापिणी के कार्यालय में पहुंचा। जहां पर एक सहायक अभियन्ता श्री ष्याम मेघवाल उपस्थित मिले। जिनसें ब्यूरों की कार्यवाही हेतु स्थान उपलब्ध करवानें हेतु निवेदन किया गया तों उनके द्वारा पंचायत समिति के सभा भवन में ब्यूरों की कार्यवाही करनें हेतु अनुमति दी गई। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा ब्यूरों की षेश कार्यवाही सभा भवन मे शुरू की गई। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उक्त भारतीय मुद्रा 4,000/-को बतौर वजह सबूत कपड़े के टुकड़े के साथ सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो ली गई। सभी प्रादर्षो एल.एच.-1 व एल.एच. -2, आर.एच.-1 व आर.एच.-2 एवं पी-1, पी-2 को षील्ड मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरों लिये गये। जिस चिन्दी से पर्स के अन्दर से रगड रगड कर धोवन लिया गया था, उस चिन्दी पर परिवादी, दोनों स्वतन्त्र गवाह एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवाकर उक्त चिन्दी को सफेद कपडे की थैली में रखकर षील्ड कर विवरण अंकित कर कब्जा ब्यूरों लिये गये। जिस पर्स में रिश्वत राशि 4000 रूपयें बरामद हुए थी, उक्त पर्स कों भी सफेद कपडे की थैली में डालकर षील्ड कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर षामिल पत्रावली की गई। आरोपी श्री रामेश्वरलाल की जामा तलाषी गवाह श्री लक्ष्मण जोधा से लिरवाई गई तों आरोपी के कब्जें से एक मोबाईल फोन वन प्लस कम्पनी का मिला। जिसके आईएमईआई नम्बर ( ) व मोबाईल में सिम नम्बर एयरटेल कम्पनी की होना पाई गई एवं दूसरी सिम नम्बर बीएसएनएल कम्पनी की होना पाई गई। उक्त मोबाईल फोन कार्यवाही में वांछित होनें के कारण कब्जा ब्यूरों लिया गया। आरोपी श्री रामेश्वरलाल का आधार कार्ड नं. 581681300267 को भी कब्जा ब्यूरों लिया गया। आरोपी के पर्स में मिली रिष्वत राषि के अलावा 1500/-रूपये आरोपी द्वारा अपने खर्चे के होना बताने पर 1500/-रूपये एवं पेन कार्ड इत्यादि पुनः सुपुर्द किये गये। आरोपी श्री रामेश्वरलाल के पास पैण्डिग कार्य बाबत विकास अधिकारी श्री हंसराज कों मौके पर तलब किया गया। जिनसें परिवादी के पैण्डिग कार्य से सम्बन्धित रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिया प्राप्त कर षामिल पत्रावली की गई। परिवादी श्री श्रवणराम के माता जी श्रीमति हरकू पत्नि श्री पूनाराम ग्राम पुनासर खुर्द पंचायत समिति बापीनी जिला फलोदी के नाम प्रधानमन्त्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत हो रखा है। उक्त आवास हेतु प्रथम किष्त 15000 रूपये का भुगतान श्रीमति हरकू पत्नि श्री पूनाराम के खाता में हो रखा है। उक्त लाभार्थी को दूसरी व तृतीय किस्त का भुगतान होना षेश है। लाभार्थी श्रीमति हरकू पत्नि श्री पूनाराम के नाम कुल 1,20,000 रूपयें की राशि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत भुगतान होना था। आरोपी श्री रामेष्वरलाल द्वारा जियो टैगिग के नाम पैण्डिग बताकर परिवादी सें 10,000 रूपयें रिश्वत राशि की मांग कर दिनांक 14.08.2025 कों मांग सत्यापन के दौरान प्राप्त करना व 2,000 रूपयें पूर्व में प्राप्त करना, आज रिश्वत राशि लेन देन के दौरान 4000 रूपयें प्राप्त किये गये है। लाभार्थी को द्वितीय किस्त भुगतान हेतु प्लींथ लेवल की जीओ टैग आरोपी द्वारा दिनांक 20.06.2025 को आवास ऐप द्वारा ऑनलाईन की गई। उक्त जीओ टैग पूर्व आवास सर्वे के समय की गई जिओ टैग का अन्तरण (डेवियेषन) 25 मीटर से ज्यादा होने से स्वतः ही राज्य स्तर पर अग्रेशित हो गई है। आरोपी श्री रामेश्वरलाल पुत्र श्री बजरंगलाल जाति जाट उम्र 42 साल निवासी ग्राम अडकसर तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना कुचामन हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पुनासर खुर्द पंचायत समिति बापिणी जिला फलोदी द्वारा परिवादी श्री श्रवण राम के माता श्रीमति हरकू के नाम प्रधानमन्त्री ग्रामीण आवास योजना में स्वीकृत मकान की द्वितीय व तृतीय किस्त जारी करनें की एवज में दिनांक 14.08.2025 कों दौरानें मांग सत्यापन 4,000 रूपयें रिश्वत राशि की मांग कर प्राप्त करना, पूर्व में 2000 रूपयें प्राप्त करना, आज रिष्वत राषि लेन देन के दौरान 4000 रूपयें प्राप्त कर गिन कर अपनें सरकारी आवास में रखें पर्स में रखना, जहां से रूबरू गवाहान के रिश्वत राशि बरामद होना, आरोपी श्री रामेष्वरलाल के दोनों हाथों का धोवन हल्का गुलाबी प्राप्त होना, आरोपी के पर्स जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई, का धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त होना, परिवादी के माता श्रीमति हरकू के नाम स्वीकृत प्रधानमन्त्री ग्रामीण आवास योजना में स्वीकृत आवास की द्वितीय व तृतीय किस्त का भुगतान आज दिनांक तक परिवादी को नही होना पाये जानें पर अपराध अन्तर्गत अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रमाणित पाया गया है। अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री रामेश्वरलाल पुत्र श्री बजरंगलाल जाति जाट उम्र 42 साल निवासी ग्राम अडकसर तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना कुचामन हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पुनासर खुर्द पंचायत समिति बापिणी जिला फलोदी का अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया कारित करना पाया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई एवं दौराने कार्यवाही अन्य कोई दस्तावेज, वस्तु कब्जा ब्यूरो नहीं ली गई। आरोपी श्री रामेश्वरलाल पुत्र श्री बजरंगलाल जाति जाट उम्र 42 साल निवासी ग्राम अडकसर तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना कुचामन हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पुनासर खुर्द पंचायत समिति बापिणी जिला फलोदी को गिरफ्तारी के कारणो से अवगत करवाया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की जायेगी। वक्त 04.00 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री रामेश्वरलाल पुत्र श्री बजरंगलाल जाति जाट उम्र 42 साल निवासी ग्राम अडकसर तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना कुचामन हाल ग्राम

विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पुनासर खुर्द पंचायत समिति बापिणी जिला फलोदी को किये गये जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) से आगह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना उनके कहेनुसार मौके पर उपस्थित श्री हंसराज विकास अधिकारी बापिण को रूबरू दी गई। वक्त 04.05 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा ट्रेप कार्यवाही में जब्त किये गये प्रादर्श ईत्यादि श्री स्वरूप चन्द हैड कानि. नम्बर 29 को सुपर्द कर मय स्वतन्त्र गवाह एवं श्री भंवरलाल हैड कानि., श्री अमित कानि., श्री छैलाराम कानि. के पंचायत परिसर में ही आरोपी के सरकारी आवास का नक्शा मौका घटना स्थल बनानें एवं आरोपी के सरकारी आवास की खाना तलाशी लेनें के लिए मय आरोपी श्री रामेश्वरलाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पुनासर खुर्द पंचायत समिति बापिणी के रवाना हुआ। वक्त 05.05 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के उपरोक्त फिकरा का गया हुआ पंचायत के सभा भवन में मय आरोपी श्री रामेश्वरलाल के वापिस आया और हालात इस प्रकार है कि परिवादी की निशादेही पर रूबरू स्वतन्त्र गवाहान के घटना स्थल का नक्शा मौका मूर्तिब कर षामिल रनिंग नोट किया गया। आरोपी के सरकारी आवास की खाना तलाशी रूबरू स्वतन्त्र गवाहान व आरोपी के ली गई। नक्शा मौका व खाना तलाशी शामिल रनिग नोट की गई। वक्त 05.20 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के सरकारी वाहन व निजी वाहन सें मय आरोपी श्री रामेश्वरलाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पुनासर खुर्द पंचायत समिति बापिणी जिला फलोदी एवं जब्त किये गये प्रादर्श रिश्वत राशि शील्ड शुदा 4000 रूपयें, आरोपी के दोनों हाथों व पर्स के धोवन के शील्ड शुदा मार्क आरएच 1, आरएच 2, एलएच 1, एलएच 2, पी 1 व पी 2, आरोपी का आधार कार्ड, पर्स एवं चिन्दी का कपडे की थैली शील्ड शुदा पैकेट, आरोपी का मोबाईल फोन मय दो सिम के सहित पंचायत समिति बापिणी से जोधपुर के लिए रवाना हुआ। वक्त 07.20 पी.एम. पर उपरोक्त फिकरा का रवाना मन् उप अधीक्षक पुलिस समस्त हमराहीयान के एसीबी चौकी जोधपुर पहुंचा। प्रकरण से संबंधित प्रादर्श रिश्वत राशि शील्ड शुदा 4000 रूपयें, आरोपी के दोनों हाथों व पर्स के धोवन के शील्ड शुदा मार्क आरएच 1, आरएच 2, एलएच 1, एलएच 2, पी 1 व पी 2, आरोपी का आधार कार्ड, पर्स एवं चिन्दी का कपडे की थैली शील्ड शुदा पैकेट, आरोपी का मोबाईल फोन मय दो सिम के खुली हालत में मालखाना प्रभारी श्री स्वरूप चन्द हैड कानि. नम्बर 29 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर मे इन्द्राज करवाया जाकर जमा मालखाना करवाया गया। तत्पष्चात् कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉडर के मैमोरी कार्ड जिसमें दिनांक 14.08.2025 को परिवादी श्री श्रवणराम व श्री रामेश्वरलाल के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 19.08.2025 को परिवादी श्री श्रवणराम व श्री रामेश्वरलाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पुनासर खुर्द पंचायत समिति बापिणी जिला फलोदी के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता एवं अन्य वार्ताए रिकार्ड है, उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर को उप अधीक्षक पुलिस ने अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में अलमारी में रखा। स्वतन्त्र गवाहान तथा परिवादी श्री श्रवणराम को दिनांक 20.08.2025 को प्रातः 09.00 ए.एम. पर कार्यालय में आने की हिदायत देकर रूखस्त किया गया। वक्त 07.40 पी.एम. पर आरोपी श्री रामेश्वरलाल ग्राम विकास अधिकारी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने एंव बाद स्वास्थ्य परीक्षण पुलिस थाना उदयमन्दिर की सुरक्षित हवालात में जमा कराने हेतु चिकित्सा प्रभारी, सैटेलाईट अस्पताल पावटा जोधपुर एवं थानाधिकारी उदयमन्दिर जोधपुर के नाम पृथक-पृथक तहरीर लिखकर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री स्वरूप चन्द हैड कानि. नम्बर 29 मय श्री अमित कुमार कानि. नम्बर 270 के सरकारी वाहन के राजकीय सैटेलाईट अस्पताल पावटा के लिये मय आरोपी श्री रामेश्वरलाल के रवाना किया गया। वक्त 08.25 पी.एम. पर उपरोक्त फिकरा के रवाना शुदा श्री स्वरूप चन्द हैड कानि. नम्बर 29 मय ब्यूरो जाब्ता के पावटा सैटेलाईट अस्पताल पहुंच आरोपी श्री रामेश्वरलाल का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की। ताबाद आरोपी को पुलिस थाना उदमन्दिर की हवालात में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई, आरोपी की निगरानी हेतु पूर्व से पाबन्द शुदा श्री भीमसिंह कानि. नम्बर 446 को मामुर कर हाजिर एसीबी चौकी आये। स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट व प्राप्ति रसीद उप अधीक्षक पुलिस द्वारा षामिल रनिंग नोट की। दिनांक 20.08.2025 वक्त 09.10 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द षुदा स्वतन्त्र गवाहन श्री योगेन्द्रसिंह वरिष्ठ सहायक व श्री लक्ष्मण जोधा वरिष्ठ सहायक व परिवादी श्री श्रवणराम कार्यालय हाजा में उपस्थित आये। वक्त 09.15 ए.एम. पर परिवादी श्री श्रवणराम एवं एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में परिवादी श्री श्रवणराम पुत्र श्री पुनाराम जाति जाट उम्र 26 वर्ष निवासी पुनासर खुर्द तहसील बापिणी जिला फलौदी एवं आरोपी श्री रामेश्वरलाल पुत्र श्री बजरंगलाल जाति जाट उम्र 42 वर्ष निवासी गांव अड़कसर, तहसील कुचामनसिटी, जिला डीडवाना कुचामन हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पुनासर खुर्द, पंचायत समिति बापिणी जिला फलौदी मध्य हुई दिनांक 14.08.2025 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है। उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर उक्त वार्तालाप को दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में रिकॉर्ड वार्ता को मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री गणेशराम सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उसमें कॉपी कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालापों को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन-सुन कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता तैयार की जाकर फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता में एक आवाज परिवादी श्री श्रवणराम ने अपनी व दूसरी आवाज आरोपी श्री रामेश्वरलाल ग्राम विकास अधिकारी की होना बताया,

दोनो आवाजों की पहचान परिवादी श्री श्रवणराम द्वारा की गई।उपरोक्त वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड हैं को विभागीय कम्प्यूटर की मदद से दो सीडीयां तैयार की गई। फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता की अनुलिपि एवं सीडीयां तैयार करने के बाद रिकार्ड वार्ताओं का मूल मैमोरी को डिजीटल वॉयस रिकार्डर में से निकालकर एक सफेद लिफाफे में डालकर लिफाफे को सफेद कपड़े की थैली में डालकर थैली की सिलाई कर शिल्ड मोहर किया की गई। सफेद कपड़े की थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त दोनो सीडीयां को खुली हालत में ही रहने दिया गया। एक सीडी आरोपी के लिये एवं एक सीडी अनुसंधान अधिकारी के तैयार की गई। उक्त दोनो खुली हालत की सीडीयों एवं सफेद कपड़े की थैली शील्ड शुदा मैमोरी कार्ड डाली हुई को मालखाना प्रभारी श्री स्वरूप चन्द हैड कानि. नम्बर 29 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। वक्त .11.45 ए.एम. पर परिवादी श्री श्रवणराम एवं एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में परिवादी श्री श्रवणराम पुत्र श्री पुनाराम जाति जाट उम्र 26 वर्ष निवासी पुनासर खुर्द तहसील बापिणी जिला फलौदी एवं आरोपी श्री रामेष्वरलाल पुत्र श्री बजरंगलाल जाति जाट उम्र 42 वर्श निवासी गांव अड़कसर, तहसील कुचामनसिटी, जिला डीडवाना कुचामन हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पुनासर खुर्द, पंचायत समिति बापिणी जिला फलौदी मध्य हुई दिनांक 19.08.2025 को रिश्वत राशि लेन-देन रूबरू वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है, उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर उक्त वार्तालाप को दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में रिकॉर्ड वार्ता को मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री गणेशराम सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उसमें कॉपी कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालापों को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन-सुन कर फर्द ट्रान्सक्रिफ्ट रिश्वत राशि लेन देन रूबरू वार्ता तैयार की जाकर फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता में एक आवाज परिवादी श्री श्रवणराम ने अपनी व दूसरी आवाज आरोपी श्री रामेश्वरलाल ग्राम विकास अधिकारी की होना बताया, दोनो आवाजों की पहचान परिवादी श्री श्रवणराम द्वारा की गई। उपरोक्त वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड हैं, को विभागीय कम्प्यूटर की मदद से दो सीडीयां तैयार की गई। फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत राशि लेन-देन रूबरू वार्ता की अनुलिपि एवं सीडीयां तैयार करने के बाद रिकार्ड वार्ताओं का मूल मैमोरी को डिजीटल वॉयस रिकार्डर में से निकालकर एक सफेद लिफाफे में डालकर लिफाफे को सफेद कपड़े की थैली में डालकर थैली की सिलाई कर शिल्ड मोहर किया की गई। सफेद कपड़े की थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त दोनो सीडीयां को खुली हालत में ही रहने दिया गया। एक सीडी आरोपी के लिये एवं एक सीडी अनुसंधान अधिकारी के तैयार की गई। उक्त दोनो खुली हालत की सीडीयों एवं सफेद कपड़े की थैली शील्ड शुदा मैमोरी कार्ड डाली हुई को मालखाना प्रभारी श्री स्वरूप चन्द हैड कानि. नम्बर 29 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। वक्त 12.55 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही के दौरान बरामदगी रिश्वत राशि की श्री अमित कानि. से सरकारी मोबाईल फोन से से विडियोग्राफी की गई थी। जिसकी रूबरू गवाहान व परिवादी श्री श्रवणराम के समक्ष कार्यालय के कम्प्यूटर से श्री गणेश राम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी से डीवीडी तैयार करवाई जाकर मालखाना प्रभारी श्री स्वरूप चन्द हैड कानि. नम्बर 29 को जमा मालखाना की गई। वक्त 01.15 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही मे परिवादी श्री श्रवणराम व दोनों स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता नहीं होने पर कार्यालय से रूखस्त किया गया। अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया कि परिवादी श्री श्रवण राम की हस्तलिखित रिपोर्ट के परिपेक्ष्य में दिनांक 14.08.2025 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन कार्यालय के हैड कानि. श्री भूरसिंह नम्बर 91 को परिवादी श्री श्रवण राम के साथ भेजकर आरोपी रामेश्वरलाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पुनासर खुर्द पंचायत समिति बापिणी जिला फलोदी के मध्य करवाया गया तों आरोपी द्वारा परिवादी श्री श्रवणराम के माता जी श्रीमति हरकू के नाम प्रधानमन्त्री आवास योजना में स्वीकृत आवास की द्वितीय व तृतीय किश्त जारी करनें की एवज में कुल 10,000 रूपयें रिश्वत राशि की मांग करना एवं 4000 रूपयें मांग सत्यापन के वक्त प्राप्त करना एवं 2000 रूपयें पूर्व में प्राप्त करना, शेष राशि दिनांक 19.08.2025 कों 4,000 रूपयें प्राप्त कर गिन कर अपनें सरकारी आवास में पर्स में रखना, जहां से रूबरू गवाहान एवं परिवादी के रिश्वत राशि बरामद होना, श्री रामेश्वरलाल के दोनों हाथों का धोवन हल्का गुलाबी प्राप्त होना, पर्स के अन्दर का धोवन हल्का गुलाबी प्राप्त होना, विकास अधिकारी पंचायत समिति बापिणी से परिवादी के पैण्डिग कार्य से सम्बन्धित रिकॉर्ड ईत्यादि के आधार पर उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। अतः इनके विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित है। (किशनसिंह चारण) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरां जोधपुर............कार्यवाही पुलिस....................

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री किशनसिंह चारण उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरां जोधपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रामेश्वरलाल पुत्र श्री बजरंगलाल जाति जाट उम्र 42 वर्ष निवासी गाव अडकसर तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना कुचामन हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पुनासर खुर्द पंचायत समिति बापिणी जिला फलोदी के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री मनिष चौधरी, पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर एस.यू. जोधपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रिपोर्ट 399 पर अंकित है। (महावीर प्रसाद शर्मा) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1226-29 दिनांक 20.08.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर, 2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला स्थापना समिति, जोधपुर 3-उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर, 5-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** MANISH CHAUDHARY **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Prasad Sharma
Location: Rajasthan,IN
Date: 2[illegible]/2025 1[illegible]3

Name(नाम): MAHAVEER PRASAD

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/07/1983				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)